

दिनांक	आज्ञा पत्र	कामही
10.4.23	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलेंट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.5.23 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	
29.5.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलेंट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29.5.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 11.7.23 को पेश हो।</p>	
11.7.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलेंट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 30.7.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.11.23 को पेश हो।</p>	
28.11.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलेंट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 28.11.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 30.11.23 को पेश हो।</p>	
30.11.23	<p>पत्रावली पेश वकील अपीलेंट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलेंट में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलेंट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प इन्डिया)